रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267648 CG-DL-E-14112025-267648

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 758]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947

No. 758]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 844(अ).— डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22 वां) की धारा 18 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम के तहत प्रदात्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए डाटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करती है।

2. भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का मुख्यालय भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा।

[फा. सं. AA-11038/1/2025- सी एल और ई एस]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

7593 GI/2025 (1)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2025

- **G.S.R. 844(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 18 of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (22 of 2023), the Central Government hereby establishes, the Data Protection Board of India, to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 2. The head office of the Data Protection Board of India shall be in the National Capital Region of India.

[F. No. AA-11038/1/2025-CL&ES] AJIT KUMAR, Jt. Secy.